प्रेस नोट
दिनांक: 07.11.2025
जनपद – गोण्डा

बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित "हमारे राष्ट्रीय गीत – वन्दे मातरम्" की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पुलिस बल द्वारा सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित-

आज दिनांक 07.11.2025 को शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में महान साहित्यकार बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित "हमारे राष्ट्रीय गीत– वन्दे मातरम्" की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रातः 10.00 बजे रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा पुलिस लाइन स्थित अमर शहीद श्री राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी बहु-उद्देशीय हॉल में उपस्थित पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगण के साथ सामूहिक रूप से 'वन्दे मातरम्' का गायन कराया गया ।
कार्यक्रम के दौरान समस्त पुलिसकर्मी राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर राष्ट्रगीत का गायन करते हुए उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए। इस आयोजन का उद्देश्य जनमानस में राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देना रहा। सभी थानों, कार्यालयों एवं इकाइयों में यह कार्यक्रम एक साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर महोदय ने कहा कि 'वन्दे मातरम्' केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह भारत माता के प्रति हमारे सम्मान, समर्पण और त्याग की भावना का प्रतीक है। ऐसे आयोजन हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता के महत्व की याद दिलाते हैं। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय गोण्डा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सामूहिक 'वन्दे मातरम्' गायन कार्यक्रम का आयोजन कराया गया।

इसी प्रकार समस्त क्षेत्राधिकारी कार्यालयों एवं थाना परिसरों में पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा सामूहिक 'वन्दे मातरम्' गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 07.11.2025

थाना परसपुर पुलिस द्वारा नौकरी का झांसा देकर ठगी करने के रु0 50,000/- के ईनामिया जालसाज अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एस0टी0एफ0 लखनऊ की टीम द्वारा थाना परसपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 210/2025 धारा 318(4)/338/336 (3)/340 (2)/316 (2)/351 (3) बीएनएस से सम्बन्धित जालसाज अभियुक्त श्री प्रकाश शर्मा पुत्र राम कुमार शर्मा नि० कुड़रा पूरे बरईन परसपुर गोण्डा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.06.2025 को वादी अखिलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र नरसिंह नरायन सिंह निवासी ग्राम पुरैना, पूरे हिमाचल थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी श्री प्रकाश शर्मा द्वारा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में नौकरी दिलाने का झांसा देकर रु0 4,50,000/- की ठगी की गयी है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी अभियुक्त श्री प्रकाश शर्मा गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहा था। पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा द्वारा अभियुक्त श्री प्रकाश शर्मा की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु 50,000/-का ईनाम घोषित किया गया था। जिसमें दिनांक 06.11.2025 को एस0टी0एफ0 लखनऊ की टीम द्वारा 50,000/- रू0 के इनामिया - श्री प्रकाश शर्मा पुत्र राम कुमार शर्मा नि० कुड़रा पूरे बरईन परसपुर गोण्डा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. श्री प्रकाश शर्मा पुत्र राम कुमार शर्मा नि० कुड़रा पूरे बरईन थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 210/2025 धारा 318(4)/338/336 (3)/340 (2)/316 (2)/351 (3) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 प्रताप नरायन सिंह एस0टी0एफ0 लखनऊ
02. हे0 कां0 दिलीप
03. हे0का0 कुलदीप
04. हे०कां0 राजेश
05. हे कां0 भूपेन्द्र सिंह दांगी
06. हे०कां0 चालक नागेश मिश्र

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 07.11.2025</u>

<u>पुलिस लाइन गोण्डा क्रिकेट ग्राउण्ड में 25वीं अन्तर्जनपदीय, गोरखपुर जोन, क्रिकेट प्रतियोगिता, दो मैचों का हुआ मुकाबला–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 07 नवम्बर 2025 को रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित क्रिकेट ग्राउण्ड में गोरखपुर जोन की 25वीं अन्तर्जनपदीय क्रिकेट (पुरुष) प्रतियोगिता–2025 के तहत दो मैचों का आयोजन हुआ है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन पहला मैच पूल–बी की टीमों महाराजगंज बनाम बहराइच के बीच खेला गया, जिसमें बहराइच टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी। महाराजगंज टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 06 विकेट पर 145 रन बनाए, जिसमें कृष्णा गुप्ता ने 39 गेंदों में 51 रन की शानदार पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बहराइच टीम 15.5 ओवर में 10 विकेट खोकर 121 रन ही बना सकी। इस मैच में महाराजगंज टीम के सत्यप्रकाश पाल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' एवं 'बेस्ट बॉलर' घोषित किया गया, जिन्होंने 17 गेंदों में 28 रन बनाए व 04 ओवर में 16 रन देकर 04 विकेट लिए। दूसरा मैच पूल–ए की टीमों बलरामपुर व सिद्धार्थनगर के बीच हुआ, जिसमें बलरामपुर टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 04 विकेट पर 133 रन बनाए। सिद्धार्थनगर टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 15.3 ओवर में 08 विकेट खोकर 137 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस मैच में बलरामपुर टीम के अखिलेश को 'प्लेयर ऑफ द मैच' एवं 'बेस्ट बॉलर' घोषित किया गया, जिन्होंने 03 ओवर में 17 रन देकर 04 विकेट लिए व बेस्ट बैटर बलरामपुर के रविराज को दिया गया जिसने 39 बाल पर 50 रन बनाए। प्रतियोगिता के दौरान कमेंट्री का संचालन अजय कुमार पाण्डेय व आनन्द कुंवर भट्ट द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने जोशपूर्ण अंदाज़ में खिलाड़ियों व दर्शकों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता का समापन व फाइनल मुकाबला दिनांक 09 नवम्बर 2025 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें विजेता एवं उपविजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 07.11.2025

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्याभियुक्त को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपये 12,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 08.04.2023 को वादी शिवलाल कोरी पुत्र राम दयाल कोरी नि0 ग्राम लच्छीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी थी कि उनकी पुत्री की शादी वजीरगंज क्षेत्र के रहने वाले हरिप्रसाद कोरी के साथ हुई थी। उनका दामाद मेरी लड़की पर गलत शक करता था उसी रंजिश को लेकर उनके दामाद द्वारा उनकी पुत्री की हत्या कर दी है। वादी की लिखित तहरीर पर थाना वजीरगंज में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए हरि प्रसाद कोरी पुत्र हरिजन कोरी को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 02.05.2023 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 07.11.2025 को थाना वजीरगंज में पंजीकृत हत्या सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री अभिनव चतुर्वेदी, थाना वजीरगंज के पैरोकार का0 राहुल यादव व कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 भावना यादव के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम महोदया नित्या पाण्डेय द्वारा अभियुक्त हरिप्रसाद कोरी को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम अजीवन कारावास व रू0 12,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. हरि प्रसाद कोरी पुत्र हरिजन कोरी नि0 काशीपुर डीहा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0–168/23, धारा 498ए,302 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।